

पत्रांक...../मढ़ौरा।

दिनांक...../2026

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण

कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 -01/2026-27

सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत प्रमंडलाधीन कराये जा रहे कार्य एवं अन्य सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कॉलम 02 में अंकित अवधि के लिये कॉलम-03 में अंकित बोलेरो गाड़ी भाड़े पर रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित की जाती है।

कं0 सं0	कार्यान्वित अवधि	वाहनो की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	15.06.2026 से 31.03.2027	01 अदद्	
2	15.06.2026 से 31.10.2026	01 अदद्	

उक्त अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, इच्छुक कोटेशनदाताओं को दोनो वाहनों के लिए अलग-अलग कोटेशन सीलबंद लिफाफे में दिनांक 06.06.2026 को 3:00 बजे अपराहन तक सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा में जमा करना होगा जिसे दिनांक 06.06.2026 को 3:30 बजे अपराहन में खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

कोटेशन की अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. एकल वाहन स्वामी भी कोटेशन में भाग ले सकते हैं।
2. एकरारनामा की अवधि आवश्यकतानुसार कंमाक 01 एवं कंमाक 02 पर अंकित अवधि तक के लिए होगी तथा संतोषजनक सेवा रहने पर इसका एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जायेगा।
3. वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छी हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
5. वाहन के कागजात, टैक्स, बीमा प्रदुषण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार की मरम्मत, तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान, आवारान एवं भोजन आदि की व्यवस्था मालिक की होगी।
8. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं विपत्र से नियमानुकूल करों की कटौती अनिवार्य रूप से की जायेगी।



9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित की जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म का होगा।
10. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिमाह की दर से ईंधन रहित देय होगा।
11. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित चालक सहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करों यथा जी०एस०टी०,आई०टी० सहित)

12. मासिक न्यूनतम दर समाहर्ता, छपरा द्वारा अद्यतन दर के बराबर या न्यूनतम उद्धरित दर के कोटेशनदाता के साथ रू० 1000/(एक हजार रुपये) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा एवं उन्हें वाहन उपलब्ध करने का आदेश दिया जायेगा।
13. वाहन के उपयोग के लिये लौग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
14. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
15. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।
16. वाहन का उपयोग वाहन मालिक आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यावसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
17. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फार्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दुगने दर से कटौती कर ली जायेगी।
18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक /फार्म का चयन किया जायेगा।
19. इच्छुक वाहन मालिक/ फार्म उक्त क्रमांक 01 से 19 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 04 से 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

/

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं बेवसाईट  
wrd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

६०/-

कार्यपालक अभियंता  
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा

पत्रांक.....1006...../मढ़ौरा, दिनांक...26/05.../2026

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी ,जल संसाधन विभाग ,पटना को सूचना की  
एक प्रति सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड  
करने हेतु समर्पित।

26/05/2026

26/05/2026

कार्यपालक अभियंता  
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा

26/5/2026